न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 331/2017

निर्णय दिनांक :–30.10.19

उनवानी दावा :

रघुनाथ पुत्र श्री छीतरलाल निवासी जाति मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी दांता (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

– प्रार्थी–

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री छीतरलाल निवासी जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी दांता (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. दयाराम मीणा पुत्र श्री छीतरलाल निवासी जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी दांता (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक
4. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शाखा देवली जिला टों

– अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

आराजी भूमि खाता संख्या 208 हाल खसरा नं0 212 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 227 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 228 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.226 है0 भूमि वाके ग्राम दांता पटवार हल्का सांवतगढ व खाता संख्या 113 खसरा नं0 152 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 222 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 267 रकबा 0.35 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम उथरणा पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 आपस मे सगे भाई है। और अप्रार्थी न0 2 अप्रार्थी न0 1 का पुत्र है। आज से 25–30 वर्ष पूर्व उक्त आराजीयात को काबिल काश्त अप्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 ने बनाया था । उक्त आराजीयात को काबिल काश्त बनाने मे खर्चा प्रार्थी ने 1/2 व अप्रार्थी न0 1 ने 1/2 हिस्सा खर्च कर काबिल काश्त बनाया था । और उक्त आराजीयात का मौके पर बंटवारा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 के मध्य बराबर हिस्सो में हो रखा है। प्रार्थी के बाहर होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी न0 1 ने उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर अपने नाम आवंटन करवा ली । और राजस्व रिकार्ड मे आने नाम इन्द्राज करवा ली। जबकि आवंटन के पूर्व से ही आज दिन तक उक्त आराजीया तमे से हिस्सा 1/2 मे मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। एवं 1/2 पर अप्रार्थी नं0 1 का कब्जा काश्त

है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 के मध्य अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का बंटवारा दिनांक 31.10.1992 मिति कार्तिक शुद्वि 06 सम्वत् 2049 को हो गया था। जिसकी लिखापढी 5/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई थी । जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 के समक्ष गवाहान हस्ताक्षर है। और उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 मौके पर उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी न0 1 के द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदारी इन्द्राज अपने नाम करवाने की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने गांव के मोतवीर व्यक्तियों को दिनांक 02.07.2012 को गांव मे एकत्रित कर अपने हिस्से की भूमि को नाम लगवाने की बात अप्रार्थी न0 1 को कही तो अप्रार्थी न0 1 ने गांव के मोतवीर व्यक्तियों के समक्ष एक इकरारनामा बाबत बंटवारा 50 रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सयुक्त आराजीयात के हिस्से बंटवारे की लिखापढी कर वादी को दे दिया। उक्त लिखापढी दिनांक 03.07.2012 को अप्रार्थीगण की उपस्थिति में देवली नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया। प्रार्थना पत्र के चरण न0 1 वर्णित आराजीया तमे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है । प्रार्थी मौके पर उक्त हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। वादी द्वारा अप्रार्थी न0 1 को बार बार अपने हिस्से की भूमि को प्रार्थी के नाम लगवाने की बात कहने के बावजूद भी अप्रार्थी न0 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमि को नाम नही लगवा रहा है । जबकि अप्रार्थी न0 1 ने दिनांक 31.10.92 को व दिनांक 02.07.12 को समक्ष गवाहान प्रार्थी के हिस्से की भूमि की लिखापढी कर प्रार्थी को दे रखी हैं। इस प्रकार चरण नं0 1 मे अंकित आराजीयात में से हिस्सा 1/2 को प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/2 मे इन्द्राज कर दुरस्त किया जाना आवश्यक है। दिनांक 13.10.17 को अप्रार्थीगण ने बिना प्रार्थी की सहमति के प्रार्थना पत्र के चरण में 1 वर्णित आराजीयात में प्रार्थी की सहमति के बिना ही हंकाई कर दी जबकि उक्त आराजीयात मे हिस्सा 1/2 मे प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है । प्रार्थी ने प्रार्थीगण को मौके पर हंकाई करने से मना किया तो अप्रार्थी न0 2 प्रार्थी से लडाई झगडा करने लग गया। और कहने लगा कि उक्त आराजीयात मेरे पिता अप्रार्थी न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज है। इसलिये उक्त आराजीयात को हम ही काश्त करेंगे। इस प्रकार अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से की उक्त भूमि को लंटठ के जोर पर हडपना चाहते है। प्रार्थी को मौके पर काश्त करने पर मजामत करते है। इस कारण रघुनाथ को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वंय जरिये नोकर चाकर दिगर पारिवारिक सदस्य एवं एजेन्ट के प्रार्थना पत्र के चरण नं0 1 मे अंकित आराजीयात में से हिस्सा 1/2 मे प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे प्रार्थी को कब्जा काश्त करने मे मजामत नही करें उक्त आराजीयात को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें एवं पाबन्द रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवजीराम डडवानिया व सांवरिया बैरागी ने

2

वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने व उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त आराजी पर दोनो को बराबर बराबर कब्जा काश्त है परन्तु प्रार्थी बाहर सर्विस करता है, उसी का फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि में कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा करने लग गया व हमेश लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रिलिज डीड दिनांक 28.5.18, शपथ पत्र दिनांक 28.06.18, जमाबन्दी संम्वत 2073–76 वाके ग्राम दांता खाता संख्या 208 व खाता संख्या 113, नोटेरी शपथ पत्र दिनांक दिनांक 02.07.12 व 5/– का स्टाम्प पेपर दिनांक 31.10.92 अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी का उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर कब्जाकाश्त प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी भूमि खाता संख्या 208 हाल खसरा नं0 212 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 227 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 228 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.226 है0 भूमि वाके ग्राम दांता पटवार हल्का सांवतगढ व खाता संख्या 113 खसरा नं0 152 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 222 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 267 रकबा 0.35 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम उथरणा पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक में प्रार्थी के हिस्से तथाकथित हिस्से की 1/2 भूमि में मजामहत किसी भी प्रकार से न करावे तथा उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान वसीयत का पंजीयन किसी के हक में न करावे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली